लापरवाही • जन्म-मृत्यु, रिहायशी, बीसी, आय प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाओं में देरी

लोगों को तय समय में सेवाएं नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

प्रदेश में अफसर आमजन से जुड़ी 803 योजनाओं में लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को तय सीमा में सेवा नहीं मिली हैं। प्रमुख रूप से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रिहायशी, बीसी, आय प्रमाण पत्र, नोन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पंजीकरण के मामले निपटाने में देरी हुई है। विभिन्न विभागों के 365 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा केस इंजीनियरिंग, तकनीकी विभागों से जुड़े हैं। इन अफसरों में 48 आईएएस, 24 एचसीएस, 4 आईपीएस व 4 एचपीएस अफसर शामिल हैं। सीए, जेई, एसडीई, एक्सयिन, एसई व सीई स्तर के इंजीनियरिंग अधिकारियों के खिलाफ 205 मामलों में चेतावनी, 17 मामलों में अप्रसन्नता दर्ज की गई। यह आंकड़ा अगस्त 2024 से 31 मार्च 2026 तक का है। इन लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा गया है।

हरियाणा सेवा अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं से संबंधित 2.06 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले। 1.95 करोड़ समय सीमा में निपटाए गए। 9.63 लाख समय सीमा से बाहर निपटाए गए, 1.25 लाख प्रक्रिया में हैं। एएस पर 28.5 लाख अपील आई, इनमें से 98% का निपटारा हो चुका है। 63 संगठनों की 750 से ज्यादा सेवाएं मानीटर की जा रही हैं।

किस विभाग के कितने आवेदन, कितनों का निपटारा

विभाग	आवेदन	निपटान	देरी	पेंडिंग
राजस्व-आपदा प्रबंधन	64 लाख	60.50 लाख	3.15 लाख	34 हजार
परिवहन	38.35 लाख	36.61 लाख	1.70 लाख	4221
यूएचबीवीएन	24.49 लाख	23.55 लाख	93273	609
डीएचबीवीएन	23.54 लाख	22.73 लाख	69626	11165
पुलिस	13.40 लाख	13.37 लाख	3450	37
हेल्थ	11.60 लाख	10.91 लाख	64720	4944
यूएलबी	844651	746667	94827	3157
एक्साइज-टेक्सेसन	745642	740994	2701	1947
एचएलडब्ल्यूबी	367398	356866	319	10213
पीएचईडी	149958	106695	42903	360

किस विभाग में कितने आवेदन और देरी

विभाग	आवेदन	देरी
रिहायशी प्रमाण पत्र	22.34 लाख	1,13 लाख
शहर-कस्बों में लाइन ब्रेकडाउन	18.61 लाख	35 हजार
बीसी सर्टिफिकेट	9.45 लाख	32 हजार
नोन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पंजीकरण	8.65 लाख	80 हजार
जन्म-मृत्यु व एनएसी	6.64 लाख	36 हजार
इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस	5.60 लाख	16 हजार
लर्नर लाइसेंस नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल	5.56 लाख	2070
इनकम सर्टिफिकेट	5.35 लाख	32 हजार
शहरी एरिया में फ्यूज	6.43 लाख	25595

ये सुझाव भी सरकार को दिए

- रेजीडेंट सर्टिफिकेट की प्री वेरीफिकेशन व्यवस्था में सुधार।
- बिजली बिलों में स्पष्ट जानकारी।
- प्रॉपर्टी आईडी आवेदनों में अनिश्चित रिवीजन को रोकना।
- उच्च शिक्षा में डिग्री डिलीवरी ट्रेकिंग।
- वेल्फेयर स्कीम में लाभार्थियों को स्पष्ट जानकारी मुहैया कराना।
- विभागों में वर्कफलो सुधारने, टाइम लाइन स्पष्ट करने को कहा।
- सर्विस नोटिफिकेशन में बदलाव करने, सिटीजन इंटरफेस को सरल बनाने की सलाह।

10 मामलों में लगाया जुर्माना

वर्ष 2025-26 में केवल 10 मामलों में जुर्माना लगाया गया, इनसे 47,500 रुपए वसूले गए। 41 मामलों में शिकायतकर्ताओं को 2.64 लाख मुआवजा दिया गया। 20 केस में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया। इन मामलों में कुल 1.75 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई।

मिलती हैं 53 विभागों की 803 सेवाएं

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अनुसार 53 विभागों की 803 सेवाएं इनमें शामिल हैं। प्रमुख रूप से जन्म, मृत्यु, विवाह, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राशन, पानी, सीवरेज, बिजली जैसी सेवाएं हैं। इसमें उद्योग क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं।

सरल पोर्टल पर भी अपील करें नागरिक

नागरिक सरल पोर्टल के जरिए भी अपील कर सकते हैं या हेल्प लाइन नंबर 01723968400 पर कॉल कर सकते हैं, यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार सुबह सात से रात आठ बजे तक कार्य करती है।

-टीसी गुप्ता, मुख्य आयुक्त, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग